मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) जी, हां। इस प्रकार की समाचार रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आई हैं।

(ख) सरकार इस प्रकार के तथाकथित बयानों का समर्थन नहीं करती तथा इनका विरोध करती है। अन्य उपायों के साथ-साथ सरकार की यह नीति है कि कार्य तथा समर्थन की पद्धति से जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना, समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराना, जागृति विकास, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को सचेत करना तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना है, समाज में महिलाओं तथा बालिकाओं दोनों की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करके दृष्टिकोणात्मक परिवर्तन लाए जाएं।

गांवों में विद्यालयों का खोला जाना

3386. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 4 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1644 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी गांवों में एक किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर विद्यालय न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, वर्तमान बजट में कोई प्रावधान किए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान कितने गांवों में, विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है तथा उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रथम कक्षा से सातवीं कक्षा तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय) शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) ;

(क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और वे ही किसी बस्ती अथवा कम से कम एक किलोमीटर दूरी के भीतर स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मानदण्डों के अनुसार जहां कहीं भी जरूरत होती है, प्राथमिक स्कूल अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए अपनी वार्षिक आवश्यकताएं तैयार करती हैं तथा राज्य योजनाओं में तत्संबंधी प्रावधान करती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कराए गए पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1986) के अनुसार 94.5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल की सुविधा है। शेष जनसंख्या के लिए निम्नलिखित कारणों जिनमें छात्रों की अपर्याप्त संख्या, अथवा अपर्याप्त भौतिक सुविधाओं, दुर्गम अथवा दूर-दराज आदि जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध न कराई जा सकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह सिफारिश की गई है कि ऐसे क्षेत्रों को अनौपचारिक शिक्षा, स्वैच्छिक स्कूलों, शिक्षा कर्मी आदि जैसी वैकल्पिक योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया जाए।

(घ) और (ङ) पूरे देश में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

महिलाओं पर अत्याचार

3387. **श्रीमती उर्मिला चिमन भाई पटेल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में, महिलाओं पर हुए अत्याचारों के कुल कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और उनका वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऊपर उल्लिखित वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने मामले न्यायालयों में दर्ज किए गए हैं;

(ग) इनमें कितने व्यक्ति दोषी पाए गए तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अत्याचारों को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Setting-op of Staff Women Commission in Delhi

3388. SHRIMATI CHANDRIKA ABHI-NANDAN JAIN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any State Women Commission would be set up in Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) what would be the term of office of the proposed Commission together with the number of its members and the criteria to be followed for their selection;

(d) what is the amount likely to be allocated as token funds for the Commission and What will be the respective share of State and Central Government therein; and

(e) the details of the schemes likely to be undertaken by the State Women Commission and the provisions made to solve their problems ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SMT. BASAVA RAJESWARI): (a) Yes, Sir.

(b) to (c) Details are being worked out by the Government of the National Capital Territory of Delhi. '

(d) No Central Government grant is provided for Setting up of State Women's Commissions. The National Capital Territory of Delhi has made a provision of Rs. 1 lakh for the year 1993-94 and Rs. 10 lakhs for the year 1994-95.

Guidelines for Admission in Professional College

3389. PROF. VIJAY KUMAR MAL-HOTRA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court had laid down guidelines for admission into privately owned professional colleges ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether there is any similar proposal to lay down guidelines for Government owned professional colleges ;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN TIT MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) The Supreme Court in its judgement dated 4-2-1993 in Unnikrishnan's case prescribed a Scheme for regulating admission into private, unaided professional colleges. According to the earmarking, 50% seats as free seats and remaining 50% as payment